

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 3261/2026

Gatu Alias Ameer Hamja S/o Kamal Khan, Aged About 25 Years,
Resident Of Gordhanpura, P.s. Hathuniya, District Pratapgarh (At
Present Lodged In Dist. Jail Pratapgarh)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, PP

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Mangi Lal Bishnoi
For Respondent(s)	:	Mr. Prem Singh Panwar, PP with Mr. Omprakash Choudhary

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

29/04/2026

01. प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, पुलिस थाना रठांजना, जिला प्रतापगढ़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 28/2026, अपराध अन्तर्गत धारा 352 भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के मामले में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत हुआ है।

02. बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

03. प्रार्थी-अभियुक्त के योग्य अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि इस मामले में पूर्व में सेशन न्यायाधीश, प्रतापगढ़ द्वारा जमानत प्रार्थना-पत्र दिनांक 09.03.2026 को खारिज किया गया था। उस समय तक धारा 352 भारतीय न्याय संहिता व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का आरोप अनुसंधान में लगाया गया था। तत्पश्चात् इस न्यायालय में जमानत प्रार्थना-पत्र पेश किया गया, जो अभी तक लंबित है। प्रकरण में पुलिस द्वारा बाद तफ्तीश जे.एम. कोर्ट, प्रतापगढ़ में चालान अंतर्गत धारा 352 भारतीय न्याय संहिता व धारा 9(1)क(1)/25(2) आर्म्स एक्ट पेश किया गया, जो दोनों धाराएं जमानतीय प्रकृति की हैं। ऐसी अवस्था में प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए प्रार्थी-अभियुक्त के खिलाफ पूर्व में मुकदमे दर्ज होना बताया गया, परंतु यह स्वीकार किया गया कि बाद चालान प्रकरण जमानतीय है। जमानत का आदेश दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।
05. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। चालान पत्रावली पर विशेष रूप से विचार किया, जिनमें आर्म्स एक्ट में व भारतीय न्याय संहिता में जिन धाराओं में पेश किये हैं, वे सभी जमानतीय प्रकृति की होना स्पष्ट हैं।
06. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।
07. परिणामतः प्रार्थी-अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी-अभियुक्त **गदु उर्फ अमीर हमजा पुत्र कमाल खान** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास-पचास हजार रुपये की दो जमानतें प्रस्तुत कर तस्दीक करा दें तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J